<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 779/2004</u>

<u>याचिकाकर्ता :</u> कीर्ति कुमार अग्रवाल

बनाम

<u>उत्तरदातागण :</u> छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

तथा

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5376/2006</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>याचिकाकर्ता :</u> कीर्ति कुमार अग्रवाल

बनाम

<u>उत्तरदातागण :</u> छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश हेतु दिनांक 25 जून, 2012 को सूचीबद्ध करें ।

सही /—

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 779/2004

याचिकाकर्ता : कीर्ति कुमार अग्रवाल

बनाम

उत्तरदातागण : छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

तथा

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5376/2006

याचिकाकर्ता : कीर्ति कुमार अग्रवाल

बनाम

उत्तरदातागण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिकाएँ)

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित :— श्री प्रफुल्ल भारत, अधिवक्ता — रिट याचिका क्रमांक 779/2004 में याचिकाकर्ता की ओर से।
सुश्री हमीदा सिद्दीकी, अधिवक्ता — रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5376/2006 में याचिकाकर्ता की ओर से।
श्री वाई.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता — राज्य की ओर से।

(यह आदेश दिनांक 25 जून, 2012 को पारित किया गया)

1. चूँकि रिट याचिका क्रमांक 779/2004 तथा रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5376/2006, एक ही याचिकाकर्ता कीर्ति कुमार अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत की गई हैं तथा दोनों याचिकाओं में समान तथ्य अंतर्निहित हैं, अतः दोनों याचिकाओं पर एक ही आदेश द्वारा एक साथ विचार कर उनका निस्तारण किया जा रहा है। इन याचिकाओं के निर्णय हेतु, रिट याचिका क्रमांक 779/2004 में निहित तथ्यों का यहाँ संदर्भ में लिया गया है।

रिट याचिका क्रमांक 779/2004 :

2. याचिकाकर्ता, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर विभाग(संक्षेप में "सी.टी.डी.") में सेवा में संविलयन हेतु निर्देश प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है, उप आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर पदग्रहण की तिथि अर्थात् दिनांक 5 फरवरी, 2001 से नियुक्ति की तिथि से तथा उक्त तिथि से परिणामी वरिष्ठता प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. संक्षेप में, इन याचिकाओं के प्रस्तुत किए जाने के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता मूलतः म.प्र. राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ लिमिटेड, भोपाल (संक्षेप में "फेडेरशन.") का कर्मचारी था। इसके बाद याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य सेवा संचालनालय में उप संचालक (कंप्यूटर, योजना एवं विकास) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया, जहाँ याचिकाकर्ता दिनांक 17 नवम्बर, 2000 से 04 फरवरी, 2001 तक कार्यरत रहा। दिनांक 19 जनवरी, 2001 (अनुलग्नक-पी/1) को याचिकाकर्ता ने प्रमुख सचिव, सी.टी.डी. को उप आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इसके पश्चात् दिनांक 01 फरवरी, 2001 (अनुलग्नक-पी/2) को याचिकाकर्ता को रु.12000–16500 के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति पर उप आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर नियुक्त किया गया।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, दिनांक 3 अप्रैल, 2002 को (अनुलग्नक—पी/4), याचिकाकर्ता ने आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) , सीटीडी के समक्ष एक

आवेदन प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया कि उसके सीपीएफ की कटौती की जाए तथा नियोक्ता का अंशदान उसके भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित किया जाए। इसके बाद दिनांक 23 जनवरी, 2001 को (अनुलग्नक—पी/5), संघ के निदेशक द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, सीटीडी के सचिव को एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता की सेवाओं को सीटीडी में संविलयन किए जाने के संबंध में यह उल्लेख किया गया कि संघ को इस पर कोई आपत्ति नहीं है तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई जांच लंबित नहीं है।

5. इसी बीच में, याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 31 जनवरी, 2003 को (अनुलग्नक—पी/6), संघ के प्रबंध निदेशक के समक्ष यह अनुरोध किया कि उसकी धारणाधिकार संघ के साथ बनाए रखी जाए तथा उसे सीएसईबी में निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके पश्चात्, अपर आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) , सी.टी.डी. ने दिनांक 28 अप्रैल, 2003 (अनुलग्नक-पी/8) के पत्र के माध्यम से सी.एस.ई.बी. को याचिकाकर्ता के कार्यग्रहण हेतु समय-सीमा 31 मई, 2003 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया। दिनांक 08 मई, 2003 (अनुलग्नक-पी/9) को याचिकाकर्ता ने आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) , सी.टी.डी. के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर यह अवगत कराया कि वह सी.एस.ई.बी. में निदेशक के पद पर कार्यग्रहण नहीं कर सका है, अतः उसकी सेवाएँ सी.टी.डी. में उप आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर संविलयन की जाएँ। इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2003 एवं 06 अक्टूबर, 2003 को भी समान अनुरोध किए गए। याचिकाकर्ता ने अपने वेतन से भविष्य निधि की नियमित कटौती किए जाने का भी अनुरोध किया। उप आयुक्त

(मुख्यालय), सी.टी.डी. द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर/01 नवम्बर, 2003 के पत्र से सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता के दिनांक 13 अगस्त, 2003 एवं 24 सितम्बर, 2003 के अभ्यावेदनों को शासन को अग्रेषित कर दिया गया है।

7. इसके उपरांत, याचिकाकर्ता ने दिनांक 15 नवम्बर, 2003 (अनुलग्नक-पी/17) को सचिव, सी.टी.डी. को पत्र लिखकर अपने सेवा के संविलयन हेतु प्रकरण को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया तथा यह भी उल्लेख किया कि यदि एक माह की अवधि में कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वह विधिक कार्रवाई करेगा। तत्संबंध में दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 (अनुलग्नक-पी/18) को स्मरण-पत्र स्वरूप विधिक नोटिस भी प्रेषित किया गया। आयुक्त सी.टी.डी. के कार्यालय द्वारा वाणिज्य कर, वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव को पत्र लिखकर याचिकाकर्ता के प्रकरण को पद पर सेवा के संविलयन हेतु अनुशंसित किया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित माननीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि सचिवालय स्तर पर याचिकाकर्ता को उप आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर संविलयन किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, जिसमें उसकी सेवाओं के संविलयन का प्रस्ताव किया गया था। माननीय अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को पर्याप्त अभ्यावेदन तथा आश्वासन दिए गए थे और इस प्रकार राज्य की कार्रवाई विबंध के सिद्धांत द्वारा शासित होती है। अतः याचिका में की गई प्रार्थना के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवाओं को उप आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर संविलयन किए जाने का निर्देश जारी किया जाए।

9. माननीय अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि कुछ अन्य कर्मचारियों की सेवाएँ पहले ही संविलयन किया जा चुका हैं। यह भी कहा गया कि संघ एक शासकीय निगम है, अतः याचिकाकर्ता की सेवाओं के संविलयन में कोई विधिक बाधा नहीं है। तथापि, दिनांक 29 मार्च, 2004 (अनुलग्नक–आर/1) के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को यह सूचित किया गया

कि वह संघ का कर्मचारी है, जो एक निगम है, और इस कारण उसकी सेवाओं को राज्य शासन में संविलयन किया जाना संभव नहीं है।

10. श्री भारत ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि सी.टी.डी. से याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त न किए जाने के कारण याचिकाकर्ता निदेशक, सी.एस.ई.बी. के पद पर कार्यग्रहण का अवसर खो बैठा, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राज्य शासन याचिकाकर्ता की सेवाओं को सी.टी.डी. में संविलयन करना चाहता था। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को क्षति हुई। उपर्युक्त तथ्यों के कारण हुई क्षति के परिप्रेक्ष्य में, प्राधिकारियों को उनके द्वारा किए गए आश्वासन के अनुसार कार्य करने तथा याचिकाकर्ता की सेवाओं को संविलयन करने का निर्देश दिए जाने की प्रार्थना की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. राज्य की ओर से उपस्थित माननीय उप महाधिवक्ता श्री ठाकुर ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 28 अक्टूबर/1 नवम्बर, 2003 (अनुलग्नक–आर/2) के पत्र द्वारा यह सूचित किया गया था कि जब तक उसकी सेवाओं का संविलयन नहीं किया जाता, तब तक भविष्य निधि की कटौती का अनुरोध स्वीकार्य नहीं है। याचिकाकर्ता की प्रतिनियुक्ति अवधि भी समाप्त हो चुकी थी तथा दिनांक 31 जनवरी, 2005 को उसका प्रतिनियुक्ति काल समाप्त होने की सूचना दिनांक 09 नवम्बर, 2004 के पत्र द्वारा दी गई थी। इसके पश्चात्, याचिकाकर्ता को दिनांक 08 नवम्बर, 2006 (अनुलग्नक–डी/2) को सी.टी.डी. की सेवा से कार्यमुक्त कर उसके मूल विभाग में कार्यग्रहण हेतु भेज दिया गया।

12. श्री ठाकुर ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को उसकी सेवाओं के संविलयन के संबंध में न तो कोई आश्वासन दिया गया और न ही कोई प्रतिज्ञा की गई। यद्यपि इस संबंध में कुछ कार्यवाही एवं विभागीय टिप्पणियाँ थीं, किन्तु उनकी सूचना याचिकाकर्ता को कभी नहीं दी गई। प्रतिनियुक्ति आदेश में भी राज्य शासन द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को शासन में संविलयन करने के किसी आशय का उल्लेख नहीं है।

13. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत माननीय अधिवक्ताओं के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने, अभिलेखों एवं संलग्न दस्तावेज़ों का अवधारित करने के पश्चात् यह निर्विवाद स्थिति है कि किसी भी समय शासन द्वारा याचिकाकर्ता को कोई प्रतिवेदन अथवा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, सिवाय इसके कि संबंधित विभाग अर्थात् सी.टी.डी. द्वारा उसकी सेवाओं के संविलयन पर विचार किए जाने हेतु शासन के सक्षम विभाग के सचिव को मात्र एक अनुशंसा प्रेषित की गई थी। इस संबंध में एक प्रस्ताव भी रखा गया था, किंतु याचिकाकर्ता की सेवाओं के संविलयन के संबंध में केवल कुछ अधिकारियों द्वारा आंतरिक कार्यवाही में टिप्पणियाँ की गई थीं।

14. याचिकाकर्ता द्वारा आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी), सी.टी.डी. के समक्ष अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए, तथापि किसी भी स्तर पर राज्य शासन द्वारा उसे उप आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर सेवा के संविलयन हेतु न तो कोई प्रतिवेदन किया गया और न ही कोई आश्वासन अथवा वचन दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह विधि का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि अधिकारियों के अभिलेख और पत्राचार केवल अधिकारियों के विचार अथवा अभिमत की अभिव्यक्ति मात्र होते हैं और उन्हें राज्य शासन का कोई आश्वासन, वचन अथवा निर्णय नहीं माना जा सकता।

16. इस प्रकरण में, जैसे कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, कुछ अधिकारियों ने सूचित किया कि याचिकाकर्ता का प्रकरण विचारार्थ राज्य सरकार को भेजा गया है, परन्तु राज्य सरकार ने कभी याचिकाकर्ता को यह सूचना नहीं दी कि उसे सेवा में संविलयन हेतु विचार किया जाएगा।

17. प्रस्ताव अभिलेखों के अवधारित पर प्रतीत होता है कि उप आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी), सी.टी.डी. का पद उपलब्ध था और विभिन्न अधिकारियों द्वारा यह प्रस्ताव भी रखा गया कि याचिकाकर्ता को

संविलयन हेतु विचार किया जाए। तथापि, टिप्पणी पर ऐसा कोई अंतिम आधिकारिक निर्णय नहीं किया गया तथा उस संबंध में कोई आदेश उसके पश्चात पारित किया गया।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरांचल राज्य एवं अन्य बनाम सुनील कुमार वैश एवं अन्य प्रकरण में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है:—

> "24. नस्ती में अभिलिखित कोई भी टिप्पणी मात्र एक साधारण टिप्पणी होती है और इससे अधिक कुछ नहीं। यह केवल संबंधित अधिकारी द्वारा व्यक्त किया गया मत मात्र है। किसी भी दृष्टि से ऐसी टिप्पणी को शासन का निर्णय नहीं माना जा सकता। यहाँ तक कि यदि सक्षम प्राधिकारी भी प्रकरण के गुण-दोष के संबंध में नस्ती पर अपना मत अंकित करता है, तो भी विचाराधीन विषय पर नस्ती में की गई कोई भी टिप्पणी तब तक शासन का निर्णय नहीं कही जा सकती, जब तक कि उसे आदेश जारी कर विधि के अनुसार अनुमोदित एवं क्रियान्वित न किया जाए। संविधान के अनुछेद 77(1) एवं (2) अथवा 166(1) एवं (2) के अनुसार, कोई भी निर्णय तभी अधिकारों को प्रभावित करने वाला आदेश बनता है, जब वह यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम से व्यक्त किया गया हो और अनुछेद 77(2) अथवा 166(2) में विनिर्दिष्ट रीति से प्रमाणीकरण किया गया हो। नस्ती में की गई कोई टिप्पणी या यहाँ तक कि दर्ज किया गया कोई निर्णय भी सदैव पुनरीक्षित/परिवर्तित/निरस्त अथवा पलटा जा सकता है और न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के प्रयोग हेतु ऐसी पूर्ववर्ती टिप्पणी या निर्णय का संज्ञान नहीं ले सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(देखें : स्टेट ऑफ पंजाब बनाम सोढ़ी सुखदेव सिंह; बच्छित्तर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब; स्टेट ऑफ बिहार बनाम कृपालु शंकर; राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बनाम श्री किशन; सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन बनाम डीडीए; तथा शांति स्पोर्ट्स क्लब बनाम यूनियन ऑफ इंडिया)।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम कार्तिक चन्द्र मण्डल एवं अन्य प्रकरण में भी यह कहा है :—

"17. अगला प्रश्न, जिस पर विचार आवश्यक है, आंतरिक पत्राचार से संबंधित है, जिन पर उत्तरवादियों ने भरोसा किया तथा जिनका उल्लेख अधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा भी किया गया। प्रथम दृष्टया, उक्त पत्राचार केवल बोर्ड-स्तरीय अधिकारियों के मध्य आदान-प्रदान किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. कोई आदेश तभी शासकीय आदेश माना जाएगा, जब वह विधि के अनुसार जारी एवं सार्वजनिक किया जाए। किसी विषय पर कार्यवाही के दौरान किया गया आंतरिक पत्राचार, जब तक कि विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी न किया जाए, तब तक शासकीय आदेश नहीं कहा जा सकता। इस संदर्भ में बिहार राज्य बनाम कृपालु शंकर के निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें इस न्यायालय ने अनुछेद 16 एवं 17 में निम्नानुसार अवधारित किया है :— (एस. सी. सी. पृ. 44-45)

"16. इस दृष्टि से देखने पर, क्या यह कहा जा सकता है कि टिप्पणी -फाइल में निहित किसी बात के आधार पर अवमानना या मानहानि की कार्यवाही की जा सकती है? टिप्पणी -फाइल की टिप्पणियों के पीछे प्रभावी आदेश के रूप में विधि का अनुमोदन नहीं होता; वे केवल

संबंधित अधिकारी द्वारा विषय पर व्यक्त की गई भावना मात्र होती हैं। अवमानना हुई है या नहीं, यह देखने के लिए अंतिम आदेश का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। टिप्पणी -फाइल में मात्र व्यक्त विचार अवमानना की कार्यवाही का एकमात्र आधार नहीं बन सकता। राज्य का कार्य किसी एक अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता; इसमें एक जटिल प्रक्रिया सम्मिलित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह प्रक्रिया अनेक अधिकारियों की सहभागिता वाली एक व्यापक शासकीय प्रक्रिया में, किसी एक अधिकारी द्वारा नस्ती पर की गई टिप्पणी मात्र के आधार पर अवमानना की कार्यवाही आरंभ करने का कोई वैध आधार नहीं बनता। अतः यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा टिप्पणी -फाइल में व्यक्त मत/अभिमत आपराधिक अवमानना का गठन नहीं करता। उपर्युक्त कारणों से यह सिविल अवमानना भी नहीं बनता, क्योंकि मात्र किसी विचार या सुझाव की अभिव्यक्ति न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 2(ख) के अंतर्गत नहीं आती। विचार की अभिव्यक्ति केवल शासकीय कार्रवाई से पूर्व की विचार-प्रक्रिया का एक भाग मात्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. बछित्तर सिंह बनाम पंजाब राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने उस आदेश के प्रभाव पर विचार किया जो अभिलेख पर था, किंतु संप्रेषित नहीं किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 166(1) पर भरोसा करते हुए यह प्रतिपादित किया गया कि राजस्व मंत्री, पेप्सू का आदेश तब तक राज्य शासन का आदेश नहीं माना जा सकता, जब तक वह अनुच्छेद 166(1) के अनुसार राज्यपाल के नाम से व्यक्त न किया गया हो और संबंधित पक्ष को संप्रेषित न किया गया हो। इस संदर्भ में अभिलेख

पर मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी के प्रभाव के संबंध में यह कहा गया :—

> "9. प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में ऐसा कोई आदेश पारित किया गया था। अभिलेख पर कुछ लिख देना मात्र आदेश नहीं होता। किसी बात को राज्य शासन का आदेश माने जाने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं—(i) आदेश का अनुच्छेद 166(1) के अनुसार राज्यपाल के नाम से व्यक्त होना, तथा (ii) उसका संप्रेषण। जब तक औपचारिक आदेश तैयार नहीं किया जाता, तब तक राज्य शासन को अभिलेख में लिखी गई बातों से बाध्य नहीं माना जा सकता। मंत्री अभिलेख पर की गई अपनी टिप्पणियों को काटकर नई टिप्पणियाँ लिख सकता है।"

(ज़ोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इसके अतिरिक्त, संबंधित पत्राचार मूल आवेदन के निस्तारण के पश्चात् आदान-प्रदान किया गया था अधिकरण द्वारा निस्तारित किए जाने के पश्चात् उक्त पत्राचार किया गया था। जिस टिप्पणी पर उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया, वह विशेष रूप से उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा महानिदेशक, आयुध कारख़ाना के लिए दिनांक 20-11-1997 को लिखा गया था, जिसमें अधिकरण द्वारा पारित आदेशों तथा अवमानना याचिका में पारित आदेश का उल्लेख किया गया था। उक्त टिप्पणी के साधारण अवधारित से यह स्पष्ट होता है कि यह श्री के.सी. मोंडल, जो यहाँ उत्तरवादी क्रमांक-1 हैं, के अभ्यावेदन पर तैयार किया गया था तथा इसे रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें समूह-डी पदों पर आकस्मिक कर्मचारियों की भर्ती/संविलयन/नियमितीकरण के लिए उनके प्रकरण पर विचार करने का अनुरोध किया गया था। इससे यह स्वयं

स्पष्ट है कि भर्ती, संविलयन एवं नियमितीकरण के संबंध में आदेश पारित करने की उचित एवं सक्षम प्राधिकारी रक्षा मंत्रालय था, न कि महानिदेशक, आयुध निर्माण।

20. उक्त टिप्पणी में ही यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि वह कोई आधिकारिक संप्रेषण नहीं था, जो आयुध कारख़ाना बोर्ड से जारी किया गया हो, तथा स्वयं महानिदेशक, आयुध कारख़ाना भी उत्तरदाताओं की सेवा के संविलयन, भर्ती एवं नियमितीकरण के संबंध में आदेश पारित करने के सक्षम प्राधिकारी नहीं थे। उक्त टिप्पणी में आगे यह भी कहा गया था कि रक्षा मंत्रालय, दिनांक 07-05-1985 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार श्री के.सी. मोंडल एवं श्री एस.के. चक्रवर्ती की सेवाओं के नियमितीकरण की अनुमति देने अथवा प्रतिबंध में शिथिलता प्रदान करते हुए रोजगार कार्यालय के संदर्भ के बिना चपरासी के पद पर उनकी भर्ती की अनुमति देने हेतु आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। विधि सलाहकार की टिप्पणी उपर्युक्त उप निदेशक की टिप्पणी में परिणत हुई, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आधिकारिक आदेश पारित नहीं किया गया था और इसलिए उसी के आधार पर अपीलार्थियों को उत्तरदाताओं की सेवाएँ संविलयन करने के निर्देश देना अनुचित एवं अवांछित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित माननीय अधिवक्ता का यह तर्क कि अभ्यावेदनों अथवा कथित आश्वासनों के आधार पर याचिकाकर्ता को वैध अपेक्षा थी और इसलिए प्रतिषेध के सिद्धांत के आधार पर राज्य को भिन्न रुख अपनाने तथा याचिकाकर्ता को उसकी सेवाओं को संविलयन किए बिना मूल विभाग में प्रत्यावर्तित करने से रोका जाना चाहिए—यह

स्वीकार्य नहीं है। विबंध के सिद्धांत के लागू होने के लिए राज्य शासन द्वारा कोई स्पष्ट प्रतिवेदन या वचन दिया जाना आवश्यक है। वचन विबंध का सिद्धांत न्यायसंगत क्षेत्राधिकार पर आधारित होता है जिसे प्राधिकारियों द्वारा किसी प्रतिवेदन या वचन के अभाव में विस्तारित नहीं किया जा सकता।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री सिधबली स्टील्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है :—

> "32. विबंध का सिद्धांत अब सुव्यवस्थित एवं सुविख्यात है। जहाँ शासन कोई वचन इस आशय से देता है कि वचनग्राही उस पर कार्य करेगा, और वास्तव में वचनग्राही उस पर भरोसा करते हुए अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, वहाँ—इस न्यायालय के अनेक निर्णयों के अनुसार—शासन उस वचन से बंधा माना जाएगा और वचनग्राही के आग्रह पर वह वचन शासन के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, भले ही उस वचन के लिए कोई प्रतिफल न हो तथा वह संविधान के अनुछेद 299 के अनुसार औपचारिक अनुलग्नक के रूप में अभिलिखित न हो। विबंध का सिद्धांत एक न्यायसंगत सिद्धांत है, जो कठोर नियम नहीं बल्कि लचीला है, जिसका उद्देश्य पक्षकारों के मध्य न्याय करना तथा उन्हें समतामूलक व्यवहार प्रदान करना है। यह सिद्धांत अन्याय से बचाव हेतु विकसित हुआ है और यद्यपि इसे 'वचन विबंध ' कहा जाता है, तथापि यह न तो संविदा के क्षेत्र में है और न ही परंपरागत विबंध के क्षेत्र में। इस सिद्धांत के अनुप्रयोग हेतु व विबंध के सिद्धांत के आधार पर। विधि में यह स्थापित है कि उक्त सिद्धांत न्यायसंगत क्षेत्राधिकार सिद्धांतों पर आधारित है और इसे तब लागू नहीं किया जा सकता, जब कोई लोक प्राधिकारी ऐसा प्रतिवेदन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

या वचन निभाने का दावा करे, जो विधि द्वारा निषिद्ध हो अथवा विधिक अधिकार के अभाव में किया गया हो। ऐसा सिद्धांत अन्याय से बचाव हेतु निहित है और इसे किसी अवैध कार्य को वैध ठहराने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।

श्री सिधबली स्टील्स लिमिटेड (पूर्ववर्ती) में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या वचन विबंध का सिद्धांत उन मामलों में लागू होंगे जहाँ वैधानिक अधिसूचना द्वारा दी गई रियायतें/छूटें बाद में दूसरी वैधानिक अधिसूचना द्वारा वापस ले ली जाती हैं।

22. जिलाधीश , जिला ग्वालियर एवं अन्य बनाम सिने एग्ज़िबिटर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः—

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"14. हमारे समक्ष यह विवादित नहीं है कि प्रथम उत्तरवादी ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपना अधिकार, स्वत्व एवं हित पूर्णतः स्थापित नहीं किया था, क्योंकि वह ऐसा कर ही नहीं सकता था। स्पष्टतः, उच्च न्यायालय ने विबंध के सिद्धांत का आधार यह है कि यह सिद्धांत वचन विबंध के सिद्धांतों पर स्थापित है। यह तब लागू नहीं हो सकता जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी ऐसा प्रतिवेदन या वचन देता है जो विधि द्वारा प्रतिबंधित हो या जिसके पास ऐसा करने का विधिक अधिकार न हो। ऐसा वचन या प्रतिवेदन अन्याय को जन्म दे सकता है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

23. इस प्रकरण में, राज्य सरकार की ओर से कोई वचन नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा अपने वेतन से भविष्य निधि की कटौती के लिए किया गया अभ्यावेदन भी निर्णीत नहीं हुआ और अंततः यह कहा गया कि यदि उसकी सेवा संविलयन की जाती है तभी इस पर विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने

भी किसी वचन के आधार पर कोई कार्य नहीं किया है, जैसा कि उसने दावा किया है।

24. तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता, जो कि उप आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) , सी.टी.डी. के पद पर प्रतिनियुक्ति पर था, ने निदेशक , सी.एस.ई.बी. के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसमें उसने स्पष्ट किया था कि वह संघ में अपना धारणाधिकार बनाए रखेगा और सी.एस.ई.बी. में सेवा जारी रखना चाहेगा। वह सेवा में इसलिए शामिल नहीं हो पाया क्योंकि उसे वर्तमान पद से मुक्त नहीं किया गया था। इसे किसी प्रकार का वचन नहीं माना जा सकता। अतः राज्य सरकार की ओर से कोई वचन या प्रतिवेदन नहीं माना जा सकता।

25. उपर्युक्त के आधार पर, विबंध के सिद्धांत का इस मामले में कोई लागू नहीं होता। याचिकाकर्ता सम्पूर्ण अवधि में प्रतिनियुक्ति पर था और बाद में दिनांक 8 नवम्बर, 2006 को प्रतिनियुक्ति से मुक्त किया गया (अनुलग्नक–डी/2, पेपर बुक का पृष्ठ 248)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. परिणामस्वरूप, रिट याचिका संख्या 779/2004, गुणरहित होने से खारिज किए जाने योग्य है और इस तदनुसार खारिज किया जाता है। व्यय संबंधी कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

27. इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2006 (अनुलग्नक-पी/1) तथा दिनांक 2 अगस्त, 2006 (अनुलग्नक-पी/9) के आदेशों को अभिखंडित किए जाने की मांग की गई है, जिनके द्वारा याचिकाकर्ता के उच्च अध्ययन हेतु आवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता को अपने मूल विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है। याचिकाकर्ता को मूल विभाग में प्रत्यावर्तित करने का निर्णय दिनांक 9 नवम्बर, 2004 को लिया जा चुका था। उक्त आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है। इसके अलावा, यह प्रश्न अब अकादमिक हो चुका है क्योंकि याचिकाकर्ता ने सत्र 2006-07 के लिए एम.टेक. (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) में प्रवेश के लिए आवेदन किया था और वह

शैक्षणिक सत्र समाप्त हो चुका है। अतः इस स्तर पर उसके आवेदन पर विचार करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता।

28. जहाँ तक अर्जित अवकाश की प्रार्थना का संबंध है, याचिकाकर्ता ने दिनांक 17 अगस्त, 2006 (अनुलग्नक-पी/14) के अपने अभ्यावेदन में 119 दिनों के अर्जित अवकाश का दावा किया था। उक्त अवकाश पहले ही दिनांक 5 मई, 2007 (अनुलग्नक– एक्स/1) के आदेश द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है तथा याचिकाकर्ता को भुगतान भी किया जा चुका है, जैसा कि राज्य द्वारा दिनांक 23 मई, 2008 को अभिलेखों पर दस्तावेज़ लेने के आवेदन में बताया गया है।

29. उपरोक्त के दृष्टिगत, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5376 / 2006 में न्याय निर्णयन हेतु कुछ भी शेष नहीं है, एवं इसे तदनुसार निराकृत किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुवादक - प्रशांत पारख
अधिवक्ता
जिला न्यायालय जिला बालोद (छ0ग0